मध्यदक्षिणी
SCZCC
दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, नागपूर
संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार
South Central Zone Cultural Centre, Nagpur
Ministry of Culture, Government of India
Ministry of Culture
Government of India
सत्यमेव जयते

जा.क्र.दमक्षेसांकें / ऑ.सि.क्रॅ.मेला / **665** / 2025–26 दि. 09 / 01 / 2026

प्रिय शिल्पकार

विशय : दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, नागपुर : "32 वॉ ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मेला एवं लोकनृत्य समारोह", नागपुर – स्टॉल लगाने हेतु आमंत्रण।

महोदय / महोदया,

दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी उपरोक्त मेले का आयोजन **दि. 30 जनवरी से 8 फरवरी 2026 तक** करने जा रहा है। केन्द्र पिछले **31** वर्षो से **ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मेला एवं लोकनृत्य समारोह"** का आयोजन सफलतापूर्वक करता आ रहा है और अब यह मेला राष्ट्रीय स्तर पर नागपुर की एक विशिष्ट पहचान के रूप में स्थापित हो चुका है। सम्पूर्ण देश के **200** से भी अधिक हथकरघा एवं हस्तशिल्पियों द्वारा निर्मित कलाकृतियों की प्रदर्शनी एवं बिक्री, देश के सर्वश्रेष्ठ पारंपारिक लोक कलाओं एवं नृत्यों का आयोजन तथा परम्परागत भारतीय व्यंजन इस मेले की भव्यता को चार चॉद लगाते हैं। यह मेला हथकरघा एवं हस्तशिल्पीयों को एक सशक्त व्यवसायिक मंच भी प्रदान करता हैं।

राष्ट्रीय स्तर के इस क्रॉफ्ट मेले में आपके सहभाग हेतु आपको यह आमंत्रण प्रेषित किया जा रहा है। मान्यता प्राप्त सरकारी संस्था से राज्य अथवा राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हथकरघा या हस्तशिल्पीयों को स्टॉल राशि में न केवल आकर्षक छुट ही दी जायेगी बल्कि स्टॉल आबंटन करते समय उन्हें प्राथमिकता भी दी जाएगी। छुट की दरें निम्न हैं :

* राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कलाकार – 25 प्रतिशत
* राष्ट्रीय मेरिट सर्टिफिकेट प्राप्त कलाकार – 15 प्रतिशत
* राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त कलाकार – 10 प्रतिशत

ऑरेंज सिटी क्रॉफ्ट मेले में भाग लेने संबंधी समस्त जानकारी आवेदन पत्र में संलग्न हैं। यदि आप इस मेले मे भाग लेना चाहते है तो निर्धारित आवेदन पत्र, स्टॉल का किराये की डी.डी., पहचान पत्र **(valid Artisan Card), आधार कार्ड** राष्ट्रीय अथवा राज्य पुरस्कार प्रमाणपत्र, प्रतिज्ञापत्र (नियमावली नुसार) दिनांक **19/01/2026** तक निदेशक, दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, नागपुर को भेज दें। राष्ट्रीय / राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त कलाकारों को उपरोक्त छुट का लाभ उपरोक्त मेले मे उनकी उपस्थिती पर निर्भर होगा।

9/1/26

निदेशक
द.म.क्षे.सां.केन्द्र, नागपुर

नोट : (1) इस पत्र प्राप्ती का मतलब आपको स्टॉल आबंटित किया गया है ऐसा नहीं है। आबंटन करने का सम्पूर्ण अधिकार केन्द्र निदेशक को होगा जिसकी अंतिम सूचि केन्द्र के वेब साईट पर दी जाएगी।
(2) जिन हस्तशिल्पीओं का चयन होगा उन्हे ही स्टॉल आबंटित किया जाएगा । जिन हस्तशिल्पीओं का चयन नहीं होगा उनके डी.डी. वापस कर दिये जाऐंगे।
(3) इस पत्र के साथ संलग्न नियमावली एवं प्रतीज्ञापत्र का अवलोकन करें।
(4) अंतिम दि. **19/01/2026** समय शाम 5.00 बजे के बाद प्राप्त आवेदन स्विकार नही कीया जायेगा।
(5) एक शिल्पकार को एक हि स्टॉल दिया जायेगा।
(6) आवेदन पत्र में त्रुटीया पाने पर उसे अस्विकृत कीया जायेगा।

दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर

56/1, आमदार निवास के सामने, सिव्हील लाईन्स, नागपुर – 440 001
टेलिफोन नं. 0712–2565107
ईमेल–sczccnagpur1986@gmail.com

Passpost Size Photo

Not for NGOs or Govt. Agencies

32वॉ ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मेला, नागपुर
दिनांक 30 जनवरी से 8 फरवरी 2026

हथकरघा एवं हस्तशिल्पियों के लिए स्टॉल आबंटन संबंधी आवेदन पत्र (अहस्तांतरणीय)

1. व्यक्ति या संस्था का नाम : ....
2. पता :..
   ....
3. दूरध्वनि क्र...मोबाईल क्र. ....
   ईमेल ....
4. शिल्प प्रकार का ब्यौरा : ....

5. स्टॉल प्रकार :

क्र.	**साईझ** **10' x 10'** आकार के स्टॉल	**कीमत (रूपये)** (For Artisans/ NGO/ Govt. Agencies)			
		Amount	**G.S.T. (18%)**	**Total Amount**	√
1	General **10'x10'** आकार का स्टॉल	**Rs.40,000/-**	Rs.7200/-	**Rs.47,200/-** (Inclusive of G.S.T.)	
2	राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिल्पकार	Rs.30,000/-	Rs.5400/-	**Rs.35,400/-** (Inclusive of G.S.T.)	
3	राष्ट्रीय मेरिट सर्टिफिकेट प्राप्त शिल्पकार	Rs.34,000/-	Rs.6120/-	**Rs.40,120/-** (Inclusive of G.S.T.)	
4	राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त शिल्पकार	Rs.36,000/-	Rs.6480/-	**Rs.42,480/-** (Inclusive of G.S.T.)	

क्र.	**साईझ** **15'x15'** (Open Space) आकार के स्टॉल	**कीमत (रूपये)** (For Artisans/ NGO/ Govt. Agencies)			
		Amount	**G.S.T. (18%)**	**Total Amount**	√
1	General **15'x15'** आकार का स्टॉल	**Rs.60,000/-**	Rs.10,800/-	**Rs.70,800/-** (Inclusive of G.S.T.)	
2	राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिल्पकार	Rs.45,000/-	Rs.8100/-	**Rs.53,100/-** (Inclusive of G.S.T.)	
3	राष्ट्रीय मेरिट सर्टिफिकेट प्राप्त शिल्पकार	Rs.51,000/-	Rs.9180/-	**Rs.60,180/-** (Inclusive of G.S.T.)	
4	राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त शिल्पकार	Rs.54,000/-	Rs.9720/-	**Rs.63,720/-** (Inclusive of G.S.T.)	

Note:- खुली जगह (15'x15') पर जो स्टॉल लेंगे उन्हे रू.30,000/–की अतिरिक्त राशी का Demand Draft के स्वरूप में जमा करनी होगी तथा आवंटन की गयी जगह से ज्यादा जगह का इस्तेमाल किया गया या करते हुये देखा गया तो यह अतिरिक्त राशी नियमों के उल्लंघन के अंतर्गत जप्त की जाएगी। **यह स्टॉल पॉटरी, कारपेट, टेराकोटा एवं फ़र्निचर के शिल्पकारों को लेना अनिवार्य है।**

6. इसके पूर्व आपने नागपुर में ऑ.सि.क्रा.मेले में भाग लिया हो तो उसका संक्षिप्त ब्यौरा दें । ....
   ....

7. क्या आप को राज्य अथवा राष्ट्रीय स्तर पर किसी संस्था द्वारा सम्मान प्राप्त हुआ है.? हॉ /नहीं

   यदि हॉ तो सम्मान अथवा पुरस्कार का पूर्ण विवरण
   * पुरस्कार/सम्मान का नाम : ....
   * संस्था का नाम जिसके द्वारा आपको पुरस्कृत किया गया:...
   * वर्ष : ....

कृ.पि.दे.

8. मान्यता प्राप्त सरकारी संस्था से राज्य अथवा राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हथकरघा या हस्तशिल्पीयों को स्टॉल राशि में निम्नलिखित छुट दी जायेगी :

* राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिल्पकार	–	25 प्रतिशत
* राष्ट्रीय मेरिट सर्टिफिकेट प्राप्त शिल्पकार	–	15 प्रतिशत
* राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त शिल्पकार	–	10 प्रतिशत

9. स्टॉल की राशि रू..................................... रसीद क्र................................ दिनांक ....
मैने भाग ''अ'' में दर्शायी गई सभी शर्तो को ध्यानपूर्वक पढ़ा है। मैं इन शर्तों को स्वीकार करता/करती हूँ एवं उनका पालन करूंगा/करूंगी ।

स्थान : ....

दिनांक : ....

शिल्पकार/संस्था का नाम एवं हस्ताक्षर

नोट : स्टॉल आरक्षण हेतु **''अ''** में दर्शाये शर्तो के अनुसार दर्शाई गई राशि का भुगतान सिर्फ डीमाण्ड ड्राफ्ट Director, South Central Zone Cultural Centre, payable at Nagpur के नाम से आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर भेजे ।

कार्यालयीन उपयोग के लिये

स्टॉल आरक्षण हेतु स्टॉल राशि रू... लेखा विभाग कार्यालय में जमा करना है ।

सहायक :

क. सहायक :

सहायक (लेखा) :

सलाहकार (लेखा) :

सहायक :

प्रशा. एवं लेखा अधिकारी :

उप निदेशक :

निदेशक :

स्टॉल राशि की रक्कम रू. ——————— नगद/डिमाण्ड ड्राफ्ट क्र......................... बॅक...................... द्वारा रसिद क्र. ———————— दि. —————— को प्राप्त हुये ।

प्रशा. एवं लेखा अधिकारी
द.म.क्षे.सां.केन्द्र, नागपुर

दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर

32 वॉ ऑरेंज सिटी क्रॅाफ्ट मेला, नागपुर

नि य मा व ली . ''अ''

(1) स्टॉल के निर्धारित न्यूनतम दर प्रति स्टॉल **रू.47,200/–(10' x 10')** और **रू.70,800/–(15' x 15')** होगी (G.S.T. की राशि जोड़कर)। उपरोक्त राशि केवल शिल्पियों तथा गैर सरकारी संस्थाओं एवं सरकारी संस्था के लिये निर्धारित हैं। प्रत्येक (10'x10') स्टॉल के लिए केन्द्र द्वारा 2 कुर्सी, 2 टेबिल एवं 2 टयूब लाईट दिये जायेंगे। **खुली जगह पर जो स्टॉल (15'x15') लेंगे उन्हे रू.30,000/–की अतिरिक्त राशी का Demand Draft के स्वरूप में जमा करनी होगी** तथा आवंटन की गयी जगह से ज्यादा जगह का इस्तेमाल किया गया या करते हुये देखा गया तो यह अतिरिक्त राशी नियमों के उल्लंघन के अंतर्गत जप्त की जाएगी।

(2) स्टॉल में स्वयं निर्मित शिल्प ही स्टॉल में रखना होगा। मशीन द्वारा बनाई गयी अथवा व्यवसायिक वस्तुऍ स्टॉल में बिक्री एवं प्रदर्शन हेतु नहीं रख सकेंगे। विकास आयुक्त हेन्डलूम/हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रमाणित शिल्पकार का पहचान पत्र होना (valid Artisan Card) आवश्यक है, उस आधार पर ही स्टॉल आवंटित किया जायेगा।

(3) स्टॉल का आवंटन करते समय उन शिल्पकारों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो National Awardee, National Merit Certificate Awardee एवं State Awardee हैं। इन शिल्पकारों का सम्मान रखते हुये उनको स्टॉल के दर में निम्ननुसार रीयायत (Concession) भी दिया जायेगा।

(1) National Awardee	– 25%
(2) National Merit Certificate Awardee	– 15%
(3) State Awardee	– 10%

(4) **शिल्पकार को रहने की व्यवस्था स्वयं के खर्चे पे करनी होगी। मेला परीसर मे रुकना मना है ।**

(5) शिल्पकारों को यदी इस क्राफ्ट मेले में भाग लेना है तो अपने आवेदन पत्र के साथ–साथ वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र,फोटो एवं किराया राशि का डी.डी.,पुरस्कार प्रमाणपत्र एवं हस्ताक्षर सहित प्रतिज्ञापत्र संलग्न करना होगा। ओरिजिनल पहचान पत्र एवं पुरूस्कार प्रमाणपत्र मेले के समय अपने साथ रखें।

(6) समस्त शिल्पकारों को सहभाग हेतु किसी भी प्रकार का आने जाने का किराया, प्रवास भत्ता, मानधन एवं आवास/भोजन का खर्च नहीं दिया जायेगा। **शिल्पकार को मेले दरम्यान स्वयं हाजीर रहना होगा।**

(7) मेला प्रतिदिन **दोपहर 02** बजे से शुरू होगा एवं **रात्रि 09 बजे** तक जारी रहेगा।

(8) किसी भी प्रकार की जानकारी कार्यक्रम प्रभारी या निदेशक द.म.क्षे.सां.केन्द्र, नागपुर द्वारा ही दी जायेगी।

(9) मेले के लिए लायी गई सामग्री को मेला खुलने के पूर्व 02 बजे तक अपने स्टॉल में व्यवस्थित साफ सुथरा रखना होगी। परिसर की स्वच्छता पर भी ध्यान रखना होगा।

(10) स्टॉल या खुली जगह को आवंटित करने का पूर्ण अधिकार मा. निदेशक को रहेगा।

(11) स्टॉल एवं केन्द्र परिसर में धुम्रपान, मद्यपान एवं किसी भी प्रकार का नशा करना अथवा भोजन पकाना सक्त मना है।

(12) यदि कोई शिल्पकार पहले ब्लॅक लिस्ट हुआ है और वह दुसरे के नाम पर स्टॉल लेता हैं, वह केन्द्र के अधिकारी के ध्यान में आने से ब्लॅक लिस्ट धारक व जिसके नाम से स्टॉल लिया हैं उसे भी ब्लॅक लिस्ट किया जायेगा तथा स्टॉल आबंटन रद्‌द किया जायेगा तथा उनकी जमा राशी जप्त की जाएगी।

(13) यदि किसी कारणवश स्टॉल आकार एवं प्रकार में बदल होता है तो वह शिल्पकार को सुचित किया जाएगा एवं उसे ये मान्य करना होगा।

(14) किसी भी विवाद में अथवा निर्णय में केन्द्र के मा. निदेशक का निर्णय अंतीम रहेगा।

(15) किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिती में उसका परिक्षेत्र नागपुर उच्च न्यायालय रहेगा।

(16) नियमों का उल्लघंन करने पर केन्द्र किसी भी प्रकार के जान व माल के नुकसान की भरपाई नहीं करेंगा। शिल्पकार यदि चाहें तो वे अपना एवं अपने सामान का बीमा स्वयं के खर्चे पर करवा सकते हैं।

(17) क्राफ्ट मेले के दरम्यान स्टॉल खाली करने पर पूर्ण अधिकार मा.निदेशक को होगा तथा स्टॉल की राशि वापीस नहीं की जायेगी ।

(18) समस्त भुगतान केवल डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा ही स्वीकार की जायेगी जो कि निदेशक, दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर के नाम रहेगा।

(19) **स्टॉल का आवंटन दि. 29/01/2026 को दोपहर 2 बजे** ड्रॉ सिस्टम द्वारा **किया जायेगा।**

(20) मेले में जो शिल्पकार सहभागी होंगे उनको 02 पहचान पत्र दिये जायेंगे एक शिल्पकार और एक सहायक शिल्पकार को

(21) प्लास्टीक, थर्माकोल से बनाए वस्तु बेचने तथा पॅकींग करने हेतु उपयोग करने पर पूर्ण रूप से बंदी रहेगी।

हस्ताक्षर/–

निदेशक,
दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर

प्रतिज्ञापत्र

(1) मुझे खुली जगह/स्टॉल लॉटरी द्वारा आवंटित किए गये अनुसार आवंटीत स्टॉल नहीं बदलूंगा/बदलूंगी । यदि मैं आवंटित स्टॉल धारण नहीं करता/करती हूँ तो भुगतान की गई राशि नहीं मांगुगा/मांगुगी ।

(2) मैं स्टॉलधारक शिल्प सामग्री के लिए राशि जमा करूंगा/करूंगी उनके अतिरिक्त किसी भी अन्य शिल्प सामग्री को स्टॉल में नहीं रखुंगा/रखूंगीं एवं तैयार भी नही करूंगा/करूंगी । यदि इस प्रकार की कोई अनियमितता पाई गई तो मेरा स्टॉल रद्द करने का अधिकार आयोजक का होगा एवं स्टॉल राशि वापिस नहीं लूंगा/लूंगी।

(3) मैं, स्टॉलधारक अपना स्टॉल एवं स्टॉल के बाजु में खुली जगह साफ सुथरी रखुंगा/रखुंगी।

(4) मेले के प्रथम दिन प्रत्येक शिल्प की निर्धारित की गई किमत व मात्रा को मेले के दरम्यान अन्य दिनों में किसी भी हालत में घटाया या बढ़ाया नहीं जायेगा।

(5) मेरे स्टॉल में रखे सभी शिल्प व अन्य वस्तुओं की सुरक्षा मैं स्वयं करूंगा/ करूंगी।

(6) मुझे आवंटित स्टॉल में ही मैं अपने शिल्पों की सामग्री की बिक्री एवं बैठक व्यवस्था करूंगा/करूंगी । उसके आसपास किसी भी परिस्थिति में अन्य जगह का उपयोग नहीं करूंगा/करूंगी।

(7) कचरा डालने हेतु मैं अपना स्वयं का कूड़ादान रखूंगा/ रखूंगी।

(8) **मैं दोपहर 01** बजे स्टॉल शुरू करूंगा/करूंगी और रात 09 बजे स्टॉल बंद करूंगा/करूंगी।

(9) मुझे आवंटित स्टॉल अथवा खुली जगह मेला के एक दिन पहले दोप. 3 बजे से दिये जाने पर सामग्री रखूंगा/रखूंगी।

(10) स्टॉल या खुली जगह को आवंटित करने का पूर्ण अधिकार कार्यक्रम प्रमुख को रहेगा इसमें किसी प्रकार का मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा /करूंगी।

(11) यदि मैं मेले के एक दिन पहले तक आवंटित स्टॉल को अपने कब्जे में नहीं लेता/लेती हूँ तो आयोजक उस खाली स्थान/जगह को किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित कर सकेंगे जो मुझे स्वीकार होगा। मैं इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा/ करूंगी।

(12) मैं अपनी आवंटीत जगह का कोई भी हिस्सा किसी अन्य व्यक्ति को किराये से नही दूंगा/दूंगी । मैं सिर्फ एक ही प्रकार का शिल्प रखूंगा/रखूंगी।

(13) मेले के अंतिम दिन जब मैं अपने शिल्प की समस्त सामग्री ले जाऊंगा/जाऊंगी तो केन्द्र के बाहर जाने के पूर्व मैं केन्द्र के प्राधिकृत अधिकरी से अनापत्ति प्रपत्र प्राप्त करूंगा/करूंगी। मैं बगैर अनापत्ति प्रपत्र के सामग्री बाहर नहीं ले जाऊंगा/जाऊंगी । मैं नियम का पूर्णतः पालन करूंगा/करूंगी।

(14) मैं मेला खत्म होने के तुरंत बाद अपनी समस्त सामग्री मेला ग्राऊंड से बाहर ले जाऊंगा/जाऊंगी। यदि मैं सामग्री बाहर नहीं ले गया/गयी तो **रू.5,000/**– प्रतिदिन के हिसाब से राशि जमा करूंगा/करूंगी।

(15) मैं स्टॉल में अथवा केन्द्र परिसर में चाय,नाश्ता, भोजन नहीं बनाऊंगा/बनाऊंगी।

(16) मैं स्टॉल में संगीत उपकरण का उपयोग नहीं करूंगा/करूंगी।

(17) मुझे आयोजक की ओर से प्राप्त पहचान पत्र मैं किसी को हस्तांतरित नहीं करूंगा/करूंगी।

(18) मैं केन्द्र के निदेशक का क्रॉफ्ट मेला संबंध में या किसी भी प्रकार के विवाद में निर्णय लेने का तथा अन्य अधिकारों व निर्देशो का पालन करूंगा/करूंगी और उनके द्वारा लिया गया निर्णय मुझे मान्य होगा।

(19) मैं आने जाने का किराया, आवास एवं भोजन का खर्च स्वयं करूंगा/करूंगी। आवास, भोजन की व्यवस्था मैं स्वयं करूंगा/करूंगी। (केन्द्र परिसर के बाहर)

(20) मेले में आने वाले दर्शक, ग्राहक, अन्य स्टॉल धारक एवं कार्यालयीन कर्मचारी के साथ मेरे द्वारा अभद्र व्यवहार करने पर आयोजक द्वारा मेंरा स्टॉल बंद करने पर मुझे कोई आपत्ती नहीं होगी।

(21) केन्द्र परिसर में धुम्रपान व किसी भी प्रकार का नशा/पानी नहीं करूंगा/करूंगी।

(22) मैं उपरोक्त नियमो का उलंघन करता/करती हूँ तो मेरा स्टॉल आयोजक द्वारा तुरंत बंद करने पर तथा मेरा नाम ब्लॅक लिस्ट में शामील करने पर मुझे कोई आपत्ती नहीं रहेगी । भविष्य में मुझे मान्य होगा।

(23) किसी भी विवाद में अथवा निर्णय में केन्द्र के मा. निदेशक का निर्णय मुझे मान्य होगा।

(24) यात्रा के दौरान अथवा मेले मे किसी भी प्रकार के सामान गुम अथवा जान व माल के नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी केन्द्र की नहीं होगी।

<u>नोट</u> : आवेदक यदि चाहे तो वह अपना एवं अपने सामान का बीमा स्वंय के खर्च पर करवा सकते है ।

(25) **स्टॉल आबंटित करने का सम्पूर्ण अधिकार/अंतिम निर्णय केन्द्र निदेशक का होगा की जो कार्यक्रम के एक दिन पहले होगा ।**

(मैंने उपरोक्त प्रतिज्ञापत्र की एवं नियमावली शर्तो को ध्यानपूर्वक पढ़ा हैं एवं सभी शर्ते मुझे/हमें मंजूर हैं एवं उनका पालन करूंगा/करूंगी)

निम्न स्वाक्षरी पुरे होश हवास में नशाविरहीत व्यवस्था में कर रहा/रहीं हूँ ।

दिनांक : **आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर**

(1)गवाह के हस्ताक्षरः .... **नाम :**..

नाम : .... **स्थानः**..

(2)गवाह के हस्ताक्षरः ....

नाम : ....